



आवास और शहरी गरीबी  
उपशमन मंत्रालय  
भारत सरकार



नरेन्द्र मोदी  
प्रधानमंत्री

## प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी बीएलसी के लिए पासबुक

लाभार्थी का नाम .....

राज्य .....

निकाय का नाम .....

वार्ड नं० .....

वर्ष .....

“

प्रधानमंत्री आवास योजना दीवारें खड़ी  
करने भर के लिए नहीं है, यह गरीबों  
के सपनों को साकार करने  
की एक योजना है।

”

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



# बीएलसी के लिए पासबुक



## लाभार्थी की विवरणी

लाभार्थी का नाम : .....  
 पिता/पति का नाम : .....  
 माता/पत्नी का नाम : .....  
 मोबाइल नं. : .....  
 वर्तमान पता : .....

सक्षम अधिकारी  
 के हस्ताक्षर एवं  
 मोहर के साथ

अभिलेख संख्या : .....  
 लाभार्थी आईडी : .....  
 योजना का वर्ष : .....  
 वर्ग: SC/ST/OBC/  
 Gen/Minority : .....  
 एकल महिला/विधवा/वरिष्ठ नागरिक/दिव्यांग एवं  
 निःसहाय लोग/ट्रांसजेंडर/मैला ढोने वाले : .....  
 आधार नं. : .....  
 वोटर आईडी नं. : .....

### पारिवारिक विवरण :

सदस्य का नाम	लाभार्थी से रिश्ता	लिंग	आयु
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

भूमि विवरण : भूमि का क्षेत्रफल (Sqm) .....  
 मौजा संख्या : ..... खाता संख्या .....  
 खसरा संख्या : ..... प्लॉट संख्या .....  
 थाना : ..... वार्ड संख्या .....  
 जिला : .....

बैंक विवरण : बैंक का नाम .....  
 : शाखा: ..... खाता संख्या: .....  
 : IFSC कोड: .....



## मकान की लागत

1. मकान की कुल लागत :
2. सरकार का अंशदान :
3. शेष राशि लाभार्थी का अंशदान होगा :
4. केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य मिशन के अन्तर्गत निर्गत की जा सकने वाली राशि :

किस्त	कार्य की स्थिति	राशि (रु. में)
प्रथम	Plinth Level तक	
द्वितीय	Lintel Level तक	
तृतीय	Roof Level तक	
चतुर्थ— सह—अंतिम	Finishing तक	
	कुल	
शेष राशि लाभार्थी अंशदान के अन्तर्गत आएगी		

नोट: अगली किस्त का भुगतान पूर्व में जारी किस्त के 70% उपयोग और वास्तविक प्रगति के आधार पर जारी किया जाएगा।

आवास निर्माण से पूर्व मूलभूत सुविधाओं की विवरणी

क्र. सं.	सुविधाएँ	हाँ	नहीं
1	आवास में पानी की व्यवस्था		
2	आवास में बिजली की व्यवस्था		
3	आवास में शौचालय की व्यवस्था		



## लाभार्थी की प्रति प्रथम किस्त

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

लाभार्थी को योजना हेतु नींव खुदाई के उपरान्त प्रथम किस्त की राशि रु.....  
 (रुपया ..... ) (केन्द्रांश ..... , राज्यांश.....)  
 RTGS/DBT के द्वारा दिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
 (हरस्ताक्षर मुहर के साथ)

## निकाय की प्रति (कार्यालय उपयोग हेतु) प्रथम किस्त

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

### प्रथम किस्त देय की शर्त

लाभार्थी के द्वारा योजना हेतु नींव की खुदाई कर ली गई हो एवं Plinth Level तक निर्माण के लिए प्रथम किस्त की रु..... (रुपया रु.....) (केन्द्रांश ..... , राज्यांश.....) निर्गत की जानी है।



## प्राधिकृत पदाधिकारी की अभियुक्ति

कार्य की प्रगति : .....

.....

.....

लाभार्थी को योजना हेतु नींव खुदाई के उपरांत प्रथम किस्त की राशि रु.....  
(रुपया .....) (केन्द्रांश ..... , राज्यांश.....)  
RTGS/DBT द्वारा निर्गत की जा सकती है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## लाभार्थी के बैंक खाते में

A/c No. : .....

IFSC कोड : .....

के द्वारा रु..... (रुपया .....) RTGS/DBT द्वारा स्थानांतरित  
कर दिया गया है।

दिनांक : .....

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)



## लाभार्थी की प्रति द्वितीय किस्त

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

लाभार्थी को योजना हेतु Plinth Level से Lintel के निर्माण के लिए द्वितीय किस्त की राशि रु..... (रुपया .....) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) RTGS/DBT के द्वारा दिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## निकाय की प्रति (कार्यालय उपयोग हेतु) द्वितीय किस्त

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

### द्वितीय किस्त देय की शर्त

लाभार्थी के द्वारा योजना हेतु Plinth Level से Lintel Level के निर्माण के लिए द्वितीय किस्त की राशि रु..... (रुपया .....) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) निर्गत की जानी है।



## प्राधिकृत पदाधिकारी की अभियुक्ति

कार्य की प्रगति : .....

.....

.....

लाभार्थी को योजना हेतु Plinth Level से Lintel के निर्माण के लिए द्वितीय किस्त की राशि रु..... (रुपया .....) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) RTGS/DBT द्वारा निर्गत की जा सकती है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## लाभार्थी के बैंक खाते में

A/c No. : .....

IFSC कोड : .....

के द्वारा रु..... (रुपया .....) RTGS/DBT द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है।

दिनांक : .....

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)



## लाभार्थी की प्रति तृतीय किस्त

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

पिता/पति का नाम : .....

माता/पत्नी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

लाभार्थी को योजना हेतु Lintel Level से Roof Level के निर्माण के लिए तृतीय किस्त की राशि रु..... (रुपया ..... ) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) RTGS/DBT के द्वारा दिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## निकाय की प्रति (कार्यालय उपयोग हेतु) तृतीय किस्त

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

पिता/पति का नाम : .....

माता/पत्नी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

### तृतीय किस्त देय की शर्त

लाभार्थी के द्वारा योजना हेतु Lintel Level से Roof Level के निर्माण के लिए तृतीय किस्त की राशि रु..... (रुपया ..... ) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) निर्गत की जानी है।



## प्राधिकृत पदाधिकारी की अभियुक्ति

कार्य की प्रगति : .....

.....

.....

लाभार्थी को योजना हेतु Lintel Level से Roof Level के निर्माण के लिए तृतीय किस्त की राशि रु..... (रुपया ..... ) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) RTGS/DBT द्वारा निर्गत की जा जाती है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## लाभार्थी के बैंक खाते में

A/c No. : .....

IFSC कोड : .....

के द्वारा रु..... (रुपया ..... ) RTGS/DBT द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है।

दिनांक : .....

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)



## लाभार्थी की प्रति चतुर्थ-सह-अंतिम किस्त

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

लाभार्थी को योजना हेतु आवास के Finishing कार्य हेतु चतुर्थ-सह-अंतिम किस्त की राशि रु..... (रुपया .....) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) RTGS/DBT के द्वारा दिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## निकाय की प्रति (कार्यालय उपयोग हेतु) चतुर्थ-सह-अंतिम किस्त

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

**चतुर्थ-सह-अंतिम किस्त देय की शर्त**

लाभार्थी के द्वारा योजना हेतु Finishing कार्य हेतु चतुर्थ-सह-अंतिम किस्त की राशि रु..... (रुपया .....) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) निर्गत की जानी है।



## प्राधिकृत पदाधिकारी की अभियुक्ति

कार्य की प्रगति : .....

.....

.....

लाभार्थी को योजना हेतु Finishing कार्य हेतु चतुर्थ-सह-अंतिम किस्त की राशि रु.....  
(रुपया .....) (केन्द्रांश ....., राज्यांश.....) RTGS/DBT  
द्वारा निर्गत की जा जाती है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## लाभार्थी के बैंक खाते में

A/c No. : .....

IFSC कोड : .....

के द्वारा रु..... (रुपया .....) RTGS/DBT द्वारा स्थानांतरित  
कर दिया गया है।

दिनांक : .....

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)



## आवास पूर्ण प्रमाण पत्र

अभिलेख संख्या : .....

लाभार्थी आईडी : .....

योजना का वर्ष : .....

लाभार्थी का नाम : .....

मोबाइल नं. : .....

लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है अतः लाभार्थी को नव-निर्मित आवास में आवासित होने के लिए आवास निर्माण-सह-योजना पूर्ण का प्रमाण निर्गत किया जा सकता है।

दिनांक : .....

### शर्तें

आवास पूर्ण हो चुका है।

आवास में पानी (पाईप/ग्राउंड) की व्यवस्था की जा चुकी है।

आवास में शौचालय की व्यवस्था की जा चुकी है।

आवास में बिजली (पॉवर लाइन/सौर उर्जा) की व्यवस्था की जा चुकी है।

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)



## प्राधिकृत पदाधिकारी की अभियुक्ति

कार्य की प्रगति : .....

.....

.....

लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अतः लाभार्थी को नव-निर्मित आवास में आवासित होने के लिए आवास निर्माण-सह-योजना पूर्ण का प्रमाण निर्गत किया जा सकता है।

दिनांक : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)



## सर्वेक्षक द्वारा जियो-टेगिंग हेतु फोटो लेने का विवरण

सर्वेक्षक का नाम : .....

फोटो लेने की तारीख : .....

निर्माण का स्तर : .....

(लामार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## सर्वेक्षक द्वारा जियो-टेगिंग हेतु फोटो लेने का विवरण

सर्वेक्षक का नाम : .....

फोटो लेने की तारीख : .....

निर्माण का स्तर : .....

(लामार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## सर्वेक्षक द्वारा जियो-टेगिंग हेतु फोटो लेने का विवरण

सर्वेक्षक का नाम : .....

फोटो लेने की तारीख : .....

निर्माण का स्तर : .....

(लामार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)



## सर्वेक्षक द्वारा जियो-टैगिंग हेतु फोटो लेने का विवरण

सर्वेक्षक का नाम : .....

फोटो लेने की तारीख : .....

निर्माण का स्तर : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

## सर्वेक्षक द्वारा जियो-टैगिंग हेतु फोटो लेने का विवरण

सर्वेक्षक का नाम : .....

फोटो लेने की तारीख : .....

निर्माण का स्तर : .....

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

सक्षम अधिकारी  
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)





भौतिक प्रगति का विवरण	कोई निर्देश/सलाह	हस्ताक्षर



## लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण अथवा विस्तार के लिए सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना का चौथा घटक EWS श्रेणी के उन लाभार्थियों के लिए है, जो इस योजना के अन्य घटकों के अन्तर्गत लाभ लेने में अक्षम है। इस योजना में लाभार्थी नए आवास के निर्माण अथवा मौजूदा आवास के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

### मुख्य शर्तें :

- लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक हो।
- लाभार्थी एवं उसके परिवार के नाम पर भारत वर्ष में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- केन्द्र सरकार का अनुदान : रु.
- राज्य सरकार का अनुदान : रु.
- अतिरिक्त राशि लाभार्थी द्वारा व्यय की जाएगी।
- आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर का होगा।
- शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थी द्वारा दी गई सूचना तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई आवास की भवन-निर्माण योजना को प्रमाणित करेंगे जिससे भूमि को स्वामित्व तथा लाभार्थी के अन्य ब्यौरे जैसे – आर्थिक स्थिति और पात्रता का पता लगाया जा सके।
- लाभार्थी उनके स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के संबंध में पर्याप्त दस्तावेजों के साथ शहरी स्थानीय निकायों से संपर्क करेगा। ऐसे लाभार्थी स्लमों में अथवा स्लमों से बाहर रहने वाले हो सकते हैं।
- व्यक्तिगत आवासों की प्रगति का पता भू-चिह्नित geo-tagging छाया चित्र के माध्यम से लगाया जाएगा।
- मिशन अन्तर्गत निर्मित आवासों के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त आवासों में पानी, बिजली, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ अनिवार्य रूप से हों तथा आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँ।



## लाभार्थी को स्कीम के अर्न्तगत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नांकित अनिवार्य शर्तों को अनुपालन बाध्यकारी होगा

- लाभार्थी की पात्रता के लिए कट-ऑफ-डेट (Cut-off-Date) मिशन के शुभारम्भ की तिथि, अर्थात, दिनांक..... निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।
- लाभार्थी को स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त कट-ऑफ-डेट के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/स्लम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा।
- लाभार्थी का बैंक एकाउन्ट संख्या होना अनिवार्य होगा। यदि लाभार्थी का आधार कार्ड हो तो उसे भी देना श्रेयष्कर होगा।
- लाभार्थी इस योजना के विभिन्न घटकों में से केवल एक ही घटक का लाभ ले सकते हैं। पूर्व से संचालित केन्द्रीय प्रायोजित आवासीय योजनाओं का लाभ, लिए हुए लाभार्थी, इस मिशन के पात्र नहीं होंगे।
- आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाएगा।
- तैयार सूची में निम्नलिखित कोटि के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी:-
  - ~ शारीरिक रूप से निःसहाय लोगों
  - ~ एकल महिलाओं/विधवा/वरिष्ठ नागरिकों
  - ~ उभयलिंगी
  - ~ मैला ढोने वाले (Manual Scavengers)
- प्राथमिकता में किसी भी प्रकार की विसंगतियाँ/बदलाव होने पर विभाग अपने स्तर से दिशानिर्देश देने हेतु सक्षम होगा।









आवास और शहरी गरीबी  
उपशमन मंत्रालय  
भारत सरकार

